न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिकी आई0डी0सं01999/5770/सवाई माधोपुर

1–धर्मसिंह पुत्र रामजीलाल
2–रमेश पुत्र रामजीलाल
3–शारदा पत्नि प्रकाश पुत्री रामजीलाल
4–निम्मा पुत्र रामजीलाल
5–मु0रतनी बेवा रामजीलाल (नाम तर्क किया गया)
6–रामखिलाड़ी पुत्र बुद्धी मृत्तक जरिये वारिसानः–
1/1–मु0हरभेजी बेवा रामखिलाड़ी
1/2–साहबसिंह पुत्र रामखिलाड़ी
1/3–दिनेश पुत्र रामखिलाड़ी
1/4–प्रेमबाई पुत्री रामखिलाड़ी
7–मल्ला बेवा बेदराम
8–श्रीफल पुत्र वेदराम
9–गुडडी पुत्री बेदराम
10–हरीचरण पुत्र कारडा
11–मु0केसन्ती बेवा बनेसिंह
सभी निवासी ग्राम ढिढोरा तहसील हिन्डौन जिला सवाई माधोपुर

———अपीलार्थीगण

W.R

बनाम

1–भगवती पुत्र दोजी
2–श्रीलाल पुत्र दोजी
जाति जाट निवासी ग्राम ढिढोरा तहसील हिन्डौन जिला सवाई माधोपुर
3–राज्य सरकार

———प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

डॉ0 जी0के0तिवारी, सदस्य
श्री मदन मोहन शर्मा, सदस्य

उपस्थितः
श्री खडगसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

दिनांक 9 सितम्बर, 2011

निर्णय

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (एतदपश्चात संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 224 के अन्तर्गत यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा अपील संख्या 38/99 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–11–99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं01 व 2/वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी हिन्डौन के न्यायालय में संस्थित किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने वाद प्रकरण में कुल सात तनकीयात कायम की तथा उभय पक्ष की साक्ष्य उपरांत वाद को अपने निर्णय दिनांक 23–3–99 से स्वीकार करते

हुए प्राथमिक डिकी जारी की। उपखण्ड अधिकारी के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष 'अधिनियम' की धारा 223 के अन्तर्गत अपील दायर की गयी जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 25–11–99 से खारिज कर दिया। फलस्वरूप इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दायर की गयी है।

3– अपीलार्थीगण द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा इसे 'प्रेस' नहीं करने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

4– इस प्रकरण में प्रार्थी श्रीलाल पुत्र कुन्दनराम द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र दिनांक 10–8–2004 प्रस्तुत किया गया जिसे प्रार्थी द्वारा 'प्रेस' नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

5– उक्त सम्बंध में उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।

6– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस करते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सात तनकीयात कायम की गयी परन्तु सातों तनकीयात का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त भूमि कभी भी मुलिया के नाम पर दर्ज नहीं थी यह सदैव से ही बुद्धि के नाम पर दर्ज थी जिसके अपीलार्थीगण वारिस थे। तनकी सं01 वादग्रस्त भूमि के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होने से सम्बंधित है परन्तु यह तनकी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने इसे सिद्ध माना है। वादग्रस्त भूमि का निजामत द्वारा जारी पर्चा बुद्धि हे नाम पर है तथा इस भूमि पर सदैव से ही बुद्धि (मृत्तक) का ही कब्जा रहा है तथा बुद्धि की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान तथा केतागण का कब्जा है। इस प्रकार प्रत्यर्थी/वादीगण का इस भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। चूंकि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/प्रतिवादीगण का ही स्वामित्व व कब्जा है अतः इस भूमि के विभाजन के सम्बंध में निर्मित तनकी सं02 भी किसी तरह से प्रमाणित नहीं होने के उपरांत भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने इसे प्रमाणित माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। तथाकथित बॅटवारा में लैण्ड होल्डर की सहमति नहीं होने से इस तरह का कोई कथित बॅटवारा मान्य नहीं है। तनकी सं03 से 7 का निर्णय भी विधि प्रतिकूल है क्योंकि रजिस्टर्ड विकय पत्र को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है; राजस्व न्यायालय इस तरह के पंजीकृत विकय पत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह भी तर्क दिया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने किसी भी तनकी पर विवेचन नहीं किया है तथा मनमाने तरीके से

विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति व्यक्त कर दी है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को अपास्त करते हुए अपील को स्वीकार किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण के वाद को खारिज किया जावे।

7— प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस करते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि उभय पक्षकारान के पूर्वज मुला के नाम पर दर्ज थी जो Ex-3 मिसल हकियत बन्दोबस्ती सम्वत 1984 से सिद्ध है परन्तु मुलिया के पुत्र बुद्धि के बड़ा होने तथा कर्त्ता खानदान होने के कारण मुलिया की समस्त भूमि बद्धि के नाम पर दर्ज हो गयी परन्तु मुलिया का दूसरा पुत्र दोजी भी इस समस्त भूमि के आधे हिस्से पर सदैव से काबिज रहा है तथा दोजी की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र (प्रत्यर्थीगण) काबिज हैं। इसी संयुक्त हिन्दू परिवार की खसरा नं0 2444 का विक्रय दोजी द्वारा किया गया परन्तु यह भूमि भी बुद्धि के नाम पर होने से बुद्धि ने भी विक्रय पत्र पर सहमत होते हुए हस्ताक्षर किये हैं तथा भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि माना है। यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमें के दौरान किया गया विक्रय प्रभावशून्य होता है तथा इसको नजर अंदाज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तरह की विधिक त्रुटि नहीं की है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में 2002 आरआरडी पेज 52(उच्च न्यायालय), 1980 आरआरडी पेज 750, 2000 आरआरडी पेज 246 तथा 2002 आरआरडी पेज 227 का उद्धहरण देते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 1987 आरआरडी पेज 375, 1981 आरआरडी पेज 206 एवं 441 व 1984 आरआरडी पेज 529 का उद्धहरण देते हुए तर्क दिया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के सहमति सूचक निर्णय का तनकीवार होना आवश्यक नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

8— हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया।

9— प्रश्नगत प्रकरण में मूल विवाद बिन्दु यह है कि क्या विवादग्रस्त भूमि मुलिया के स्वामित्व की भूमि थी जो मुलिया की मृत्यु उपरांत मुलिया(मृत्तक) के ज्येष्ठ पुत्र बुद्धि (मृत्तक) के नाम पर कर्त्ता खानदान होने के कारण दर्ज हो गयी परन्तु मुलिया का द्वितीय पुत्र दोजी (मृत्तक) संयुक्त हिन्दू परिवार की इस विवादित भूमि के आधे हिस्से पर काबिज रहा है।

10— वादग्रस्त भूमि के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होने के सम्बंध में तनकी सं01 कायम की गयी है। इस सम्बंध में मिसल हकियत बन्दोबस्ती सम्वत्

1984 (Ex-3) एक महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेख है जिसमें वादग्रस्त भूमि को मुला चमार के नाम पर अभिलिखित होना दर्शाया गया है। मुला की मृत्यु उपरांत राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि बुद्धि पुत्र मुलिया के नाम पर दर्शायी गयी है। इस बारे में विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या यह भूमि ज्येष्ठ पुत्र एवं कर्त्ता खानदान होने के कारण तनहा बुद्धि के नाम पर दर्ज हो गयी? इस बारे में 25–9–65 का पंजीकृत विक्रय पत्र (Ex-5) महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें यह स्पष्टतः अंकित किया गया है कि विवादित भूमि बड़ा भाई व कर्त्ता खानदान होने के नाते बुद्धि के नाम पर दर्ज है जबकि सन्दर्भित विकीत भूमि प्रत्यर्थी/वादी के पिता दोजी (बुद्धि के भाई) के हिस्से की है। इस पंजीकृत विक्रय पत्र पर दोजी के साथ साथ बुद्धि के भी सहमति सूचक हस्ताक्षर हैं। इससे यह स्पष्टतः प्रमाणित है कि मुलिया के स्वामित्व की भूमि उसकी मृत्यु उपरांत बुद्धि के नाम पर ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण दर्ज हो गयी, जबकि इस भूमि के आधे हिस्से पर दोजी का भी स्वत्व व कब्जा रहा है। इस बारे में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी सं01 से 3 पर उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन करते हुए सम्यक निष्कर्ष लिया गया है जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा प्रत्यर्थी/वादीगण द्वारा वर्णित अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त वादीगण ने गवाहान की मौखिक साक्ष्य भी करवायी है जिसमें गवाह P.W.2 गुलाब पुत्र सुक्की उम्र 75 वर्ष के बयान महत्वपूर्ण हैं। इस वृद्ध बयानकर्त्ता ने अपने बयान में यह स्पष्टतः उल्लेखित किया है कि वादग्रस्त भूमि मुलिया के स्वत्व की थी, जिसके दो पुत्र थे। परन्तु मुलिया की मृत्यु उपरांत मुलिया के बड़े पुत्र के नाम पर ही जमीन हो गयी परन्तु दोनें ही भाई(बुद्धि व दोजी) बाहमी बँटवारे से मौके पर समान रूप से काबिज हैं। इस स्वतंत्र गवाह गुलाब P.W.2 के बयान की अन्य गवाहान पूरन पुत्र मटोजी P.W.3 एवं हरकिशन पुत्र धमण्डी P.W.4 द्वारा भी ताईद की गयी है। इसके विपरीत अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा केवल विवादित भूमि के केतागण की साक्ष्य करवायी गयी है; किसी भी तटस्थ गवाह की साक्ष्य नहीं करवायी है। प्रतिवादीगण ने केवल दो गवाह हरिचरण (D.W.1) तथा गंगाचरण (D.W.2) की शहादत करवायी है जिसमें हरिचरण स्वंय केता व अपीलार्थी है तथा गंगाचरण ने विवादित बेचान की ताईद की है अर्थात वादग्रस्त भूमि के मुलिया (उभय पक्ष के पूर्वज) की भूमि नहीं होने तथा विवादित भूमि के केवल बुद्धि (पुत्र) की स्वअर्जित होने के बारे में प्रतिवादीगण ने किसी की भी शहादत नहीं करवायी है जबकि प्रत्यर्थी/वादीगण ने अभिलिखित

साक्ष्य एवं गवाहान की मौखिक साक्ष्य दोनों से ही उनके पक्ष की तनकीयात को प्रमाणित करवाया है।

11– हम अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय तनकीवार नहीं होने से निरस्तनीय है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के तनकीवार निर्णय से सहमति व्यक्त करने की स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का प्रत्येक तनकी पर पृथक से निष्कर्ष देना अनिवार्य नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन विवाद का सम्यक आंकलन करते हुए विचारण न्यायालय के तनकीवार निर्षय से सहमति व्यक्त करने वाले अपीलीय निर्णय को सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं माना जायेगा जैसा कि 1987 आरआरडी पेज 375 में अभिनिर्धारित किया गया है। इसी सम्बंध में 1981 आरआरडी पेज 206 व 441 तथा 1984 आरआरडी पेज 529 के दृष्टांत भी समीचीन हैं।

12– दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं जिसमें पृथक से कोई विशेष विधिक बिन्दु निहित नहीं है। अतः ऐसे समवर्ती निर्णय में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है जैसा कि 2002 आरआरडी पेज 52(उच्च न्यायालय), 1980 आरआरडी पेज 750 तथा 2000 आरआरडी पेज 246, 2001 एआईआर(SC) पेज 2282 में अभिनिर्धारित किया गया है।

13– विचारण न्यायालय द्वारा वाद प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय की अनुमति के बिना किये गये प्रश्नगत विकय को प्रभावशून्य करार दिया है। उपखण्ड अधिकारी का यह निष्कर्ष सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के अनुकूल है; तथा प्रश्नगत भू अन्तरण वाद लम्बन सिद्धान्त (doctrine of lis-pendens) के प्रतिकूल होने से प्रभावशून्य एवं उपेक्षनीय है। इस बारे में निर्मित तनकी संख्या 4 तथा इसके अनुषांगिक तनकी संख्या 6 का सम्यक रूप से विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जो अहस्तक्षेपनीय है।

14– उक्त विवेचन के अनुसार यह अपील बलहीन होने से निरस्तनीय है।

15– परिणामस्वरूप अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदन मोहन शर्मा)
सदस्य

(डॉ0जी0के0तिवारी)
सदस्य